न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राघेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या — 02/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2019/00003

अपीलांटः—	बनाम	रेस्पोंडेंट्सः—
1. भीखसिंह पुत्र तखतसिंह, उम्र 62 वर्ष, जाति राजपूत निवासी लाटाडा, तहसील बाली जिला पाली अध्यक्ष बिलेश्वर, महादेव विकास सेवा समिति लाटाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली राजस्थान		1. तहसीलदार भूमिधारी बाली जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26—12—2018 न्यायालय नायब तहसीलदार बाली मुकदमा नम्बर 333/2018 बअनवान सायल सरकार बनाम गैर सायल अध्यक्ष/पुजारी बिलेश्वर महोदव मन्दिर लाटाडा

—:आदेशः— दिनांक 26.07.2021

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर, निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का लाटाड़ा की रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध एक मुकदमा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत दिनांक 12.12.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने ग्राम लाटाड़ा के खसरा नं 1035,1029,1028 व 1027 कुल रकबा 0.53 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मंदिर, गैर मुमकिन बेरा, गैर मुमकिन बाड़ा पर संवत् 2075 में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है जो दर्ज किया जाकर अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किये जाने के आदेश देते हुए पेशी दिनांक 26.12.2018 की रखी गई। दिनांक 26.12.2018 की रखी गई। दिनांक 26.12.2018 की पेशी का नोटिस न्यायालय द्वारा जारी नही किया एवं दिनांक 26.12.2018 की पेशी पर अपीलांट की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित कर रूपयें 1,382/— जुर्माना के आरोपित कर मौके पर खड़ी फसल निलामी आदेश पारित किये एवं बेदखली के आदेश दिये। इस कारण अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है न्यायालय की आदेशिका (ऑडरसीट) दिनांक 26.12.2018 पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा दिये हैं जो अपीलाण्ट के नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलांट को नोटिस दिये बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध आदेश जैर अपील दिनांक 26.12.2018 पारित किया है जो पूर्णतया निरस्तनीय है। कानून का यह सुनिश्चित प्रतिपादित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करना कानून

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

के मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांतो के प्रतिकूल है। इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त के है।

खसरा नंबर 1035 पर महादेव जी का 60–70 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। खसरा नंबर 1027,1028 व 1029 पर बेरा व मंदिर के पुजा मे आने वाले फल वगैहर का बगीचा लगा हुआ है। इन चारो खसरों की जमीन पर पिछले 60–70 वर्षो से गांव लाटाड़ा का सार्वजनिक बिलेश्वर महोदव मंदिर बना हुआ है। मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 07.02.2019 को हुई जब पटवार हल्का ने जुर्माने की राशि की मांग की इस पर अपीलाण्ट ने अपने अधविक्ता ने नकलें हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया जो उसे दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त हुई नकलें प्राप्त होने के बाद वह पाली आया अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया अपील तैयार करवाई एवं ऐसी परिस्थिति में अपील आज प्रस्तुत की जा रही है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2019 को हुई जब पटवार हल्का ने जुर्माने की राशि की मांग की इस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से नकलें हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया जो उसे दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त हुई नकलें प्राप्त होने के बाद वह पाली आया अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापिक किया अपील तैयार करवाई एवं ऐसी परिस्थिति में अपील आज प्रस्तुत की जा रही है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2019 को अपीलांट को होने से एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.03.2019 को मिले से अपील अंदर अवधि प्रस्तुत है। फिर भी सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से इस अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन शपथ पत्र के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. वकील रेस्पोडेण्ट्स ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया।

5. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम लाटाड़ा के खसरा नं 1035,1029,1028 व 1027 कुल रकबा 0.53 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मंदिर, गैर मुमकिन बेरा, गैर मुमकिन बाड़ा पर संवत् 2075 में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है जो दर्ज किया जाकर अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किये जाने के आदेश देते हुए पेशी दिनांक 26.12.2018 की रखी गई। दिनांक 26.12.2018 की पेशी का नोटिस न्यायालय द्वारा जारी नही किया एवं दिनांक 26.12.2018 की पेशी पर अपीलांट की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित कर रूपयें 1,382/– जुर्माना के आरोपित कर मौके पर खड़ी फसल निलामी आदेश पारित किये एवं बेदखली के आदेश दिये। न्यायालय की आदेशिका (ऑडरसीट) दिनांक 26.12.2018 पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा दिये हैं जो अपीलाण्ट के नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलांट को नोटिस दिये बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध आदेश जैर अपील दिनांक 26.12.2018 पारित किया है जो पूर्णतया निरस्तनीय है। कानून का यह सुनिश्चित प्रतिपादित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आदेश पारित करना कानून के मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांतो के प्रतिकूल है। इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त के है। खसरा नंबर 1035 पर महादेव जी का 60–70 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। खसरा नंबर 1027,1028 व 1029 पर बेरा व मंदिर के पुजा मे आने वाले फल वगैहर का बगीचा लगा हुआ है। इन चारो खसरों की जमीन पर पिछले 60–70 वर्षों से गांव लाटाड़ा का सार्वजनिक बिलेश्वर महोदव मंदिर बना हुआ है। मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2019 को अपीलांट को होने से एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.03.2019 को मिले से अपील अंदर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली का निर्णय दिनांक 26.12.2018 को पारित किया गया है कि विधि संगत है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको वहा हटाया जाना जरूरी है। अपीलाण्ट ग्राम लाटाड़ा के खसरा नंबर 1035, 1029, 1028, 1027 कुल चार खसरा क्रमशः रकबा 0.24, 0.15, 0.01, 0.13 किस्म गै.मु मंदिर, बा.दो., गै.मु. बेरा, गै.मु. बाडा भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को यथावत रखा जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा मौजा गांव लाटाड़ा के खसरा नंबर ग्राम लाटाड़ा के खसरा नंबर 1035, 1029, 1028, 1027 कुल चार खसरा क्रमशः रकबा 0.24, 0.15, 0.01, 0.13 किस्म गै.मु मंदिर, बा.दो., गै.मु. बेरा, गै.मु. बाडा पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया तथा उक्त आराजी से बेदखल कर उक्त आराजी के वार्षिक लगान 27.64 का 50 गुणा राशि 1382 रूपयें जुर्माना अपीलाण्ट के विरूद्ध आरोपित किया साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश में अध्यक्ष/पुजारी बिलेश्वर महादेव मंदिर लाटाडा निवासी शिवतलाव को सुनने पश्चात् आदेश दिया गया है तथा तहसीलदार भूमिधारक होने के नाते उनका यह कर्तव्य है कि खाता नंबर एक में उल्लेखित सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली का निर्णय दिनांक 26.12.2018 को पारित किया गया है कि विधि संगत है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा मंदिर माफी की जमीन पर किसी ट्रस्टी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध है। मंदिर स्वयं नाबालिक होता है मंदिर माफी की जमीन पर इस प्रकार से सद्म रूप से ट्रस्टी के रूप में निर्माण कार्य करना कानून संगत नहीं है। नायब तहसीलदार बाली द्वारा उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही सही प्रतीत होती है। अपीलाण्ट द्वारा मौजा ग्राम लाटाड़ा के खसरा नंबर 1035, 1029, 1028, 1027 कुल चार खसरा क्रमशः रकबा 0.24, 0.15, 0.01, 0.13 मंदिर माफी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको वहा हटाया जाना जरूरी है। जिससे भविष्य में अपीलाण्ट द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नही कर सकें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा मंदिर माफी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कार्यवाही करते हुए जैर अपील पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बाली का निर्णय दिनांक 26–12–2018 को यथावत रखा जाता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 333/2018 में नायब तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)